

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यहास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
 - ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।

[फा. सं. 354/1/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 8/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the central tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. Explanation. - For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder.	9%
2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm Explanation. - For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder.	9%
3	8703	Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. Explanation. - For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from S. No. 1 to S.No. 3	6%

Explanation –For the purposes of this notification, -

- (i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act, 1961(43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and
 - (ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.
2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.

[F. No. 354/1/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 9/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 83(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1391 (अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों”

(ii) कॉलम 4 में, ‘विज्ञान और अनुसंधान विभाग’ शब्दों के स्थान पर ‘विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, “विज्ञान और अनुसंधान विभाग” शब्दों के स्थान पर “विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) सारणी के पश्चात्, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी.”

[फा. सं. 354/1/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव